न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2020/00090
पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र संख्या :– 10/2020

बाबूलाल पुत्र जगदीश जाति महाजन निवासी ग्राम नीदड तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – – प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र जीवणराम
2. दिनेश पुत्र जीवणराम
3. नन्छी देवी पत्नी जीवणराम
4. मांगू पुत्र गोपी
5. छोटा देवी पत्नी आनन्दीलाल
6. नाथ्या पुत्र छोटू
7. गुलाब देवी पत्नी सोहन लाल
8. विद्या देवी पत्नी महेन्द्र प्रसाद मेघवाल
   समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम नीदड तहसील आमेर जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर

– – – अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 भू–राजस्व अधिनियम बाबत् पत्थरगढी करवाने

निर्णय **दिनांक** :– 20.11.2020

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी का प्रस्तुत कर कथन किया है कि वाके ग्राम नीदड तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी ख0नं0 1792 रकबा 1.33 हैक्टेयर के रिकार्डेड खातेदार, काश्तकार है जिसका प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त आराजी का शांतिपूर्वक कब्जेकाश्त में होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। लेकिन प्रार्थी अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु अपने खेत के तारबंदी करवा सुरक्षित रखना चाहता है जिससे की सींवा जोड खातेदारों से कभी भी सीमा संबंधी किसी बात पर कोई विवाद उत्पन्न न हो जिस कारण से प्रार्थी ने

पूर्व में अपनी उक्त आराजीयात का सीमा ज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन किया गया है। जिस पर तहसीलदार महोदय के आदेश क्रमांक भू.अ./2019/6703 दिनांक 24.12.2019 की पालना में सीमाज्ञान पडोसियों की मौजूदगी में किया गया उसके मुताबिक प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना प्रार्थनीय है।

अप्रार्थीगण उक्त भूमि के पडोसी खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण की भूमि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1792 की चारों दिशाओं में स्थित है। इस कारण अप्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 1792 के पडोसी खातेदार काश्तकार होने से उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार मुकदमा बनया गया है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1792 रकबा 1.33 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नीदड तहसील आमेर जिला जयपुर के चारों ओर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है, इस प्रकार से उक्त सभी सींवाजोड खातेदारों को उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है जिससे पत्थरगढी करने में पडौसी खातेदार काश्तकारों से आपसी लडाई झगडे से निजात पाया जा सकें।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1792 रकबा 1.33 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नीदड तहसील आमेर जिला जयपुर की पत्थरगढी पुलिस इमदाद से करवाने हेतु तहसीलदार आमेर को आदेशित व निर्देशित करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 8 के नोटिस तामिल होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 05.11.2020 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार आमेर से प्रार्थना पत्र की बिन्दूवार तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई जो उनके पत्र क्रमांक भू.अ./20/9025 दिनांक 12.10.2020 के द्वारा भिजवाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक खसरा नम्बर 1792 रकबा 1.33 है0 राजस्व रिकॉर्डानुसार कृषि भूमि है जो कि बाबूलाल पुत्र जगदीश जाति महाजन के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर पर कोई स्थगन नहीं है, न ही माफी मंदिर है। उक्त खसरा नम्बर मौके पर खाली पडी हुई है। उक्त खसर नम्बर के सह सीमा को लेकर विवाद है। उक्त भूमि का आदेश क्रमांक/भू.अ./19/6703 दिनांक 24.12.19 की पालना में सीमाज्ञान किया जा चुका है। ग्राम नीदड के आराजी खसरा नम्बर 1792 के पडौसी खातेदार निम्न है। ओमप्रकाश, दिनेश पुत्र जीवण, नन्छी देवी पत्नी जीवण, मांगू पुत्र गोपी, छोटी देवी पत्नी आनंदीलाल, नाथ्या पुत्र छोटू के वारिसान गुलाबदेवी पत्नी सोहनलाल, विद्या देवी पत्नी महेन्द्र प्रसाद मेघवाल है।

हमने प्रार्थी की ओर से बहस सुनी गयी व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी

भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 06.01.2020 को किया जा चुका है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि में किसी प्रकार का विवाद न्यायालय में स्थगन या कोई आपत्ति नहीं बताई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1792 रकबा 01.33 हैक्टेयर वाके ग्राम नीदड तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित की फीस पत्थरगढी प्राप्त कर राजकोष में नियमानुसार जमा करवाये तथा पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व पडोसी खातेदारान को विधिवत नोटिस व सूचना दिया जाकर उभयपक्षों की उपस्थिति में सम्पादित करावें।

आज **दिनांक 20.11.2020** को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त कटारा)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर